परिवहन अनुभाग-4
संख्या-7/1161/तीस-4-2015-20(75)/2001
लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2015

शुद्धिपत्र

उत्तर प्रदेश मोटरयान (सत्रहवॉ संशोधन) नियमावली, 2014 विषयक अधिसूचना संख्या-252/तीस-4-2014-20(75)-2001, दिनांक 25 फरवरी, 2014 को दिनांक 03 मार्च, 2014 पढ़ा जाय। उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

आज्ञा से,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/1161(1)/तीस-4-2015 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 30 जुलाई, 2015 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-7/1161(2)/तीस-4-2015 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. विधायी अनुभाग-1
5. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट, ट्रिव्यूनल, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।